



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237376
CG-DL-E-20072022-237376

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3081]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944

No. 3081]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3241(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए काण्डला (गुजरात) से गोरखपुर (उ.प्र.) एल. पी. जी. पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी आई.एच.बी. लिमिटेड, काण्डला-गोरखपुर

एल.पी.जी. पाइपलाइन परियोजना (के.जी.पी.एल.), जिला-प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला प्रयागराज		राज्य उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर-	एयर -	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
हंडिया	सिठौली	1034	00	11	65
		1172	00	00	43
हंडिया	फतेहपुर माफी	171	00	00	18
		164	00	00	30
हंडिया	बरेन्द्र	652	00	00	13
		653	00	00	70
		653/692	00	00	51
		654	00	01	93
		656	00	06	75
हंडिया	साथर	258	00	00	57
		255	00	03	34
		254	00	00	21
		252	00	00	24
		251	00	00	50

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3241(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of the petroleum product in the state of Uttar Pradesh Pipeline should be laid for implementing of Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project by the IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline. It is necessary to acquire the right of user (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in;

Any person interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Competent Authority, IHB Limited, Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), Dist.-Prayagraj (UP) within twenty one days from the date on which the copies of the notification Issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

District : Prayagraj		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Handia	Sithauli	1034	00	11	65
		1172	00	00	43
Handia	Fatehpur Mafi	171	00	00	18
		164	00	00	30
Handia	Barendra	652	00	00	13
		653	00	00	70
		653/692	00	00	51
		654	00	01	93
		656	00	06	75
Handia	Sathar	258	00	00	57
		255	00	03	34
		254	00	00	21
		252	00	00	24
		251	00	00	50

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.